

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षकि सशक्तीकरण की स्थिति

प्रलिमिस के लिये:

धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, सच्चर समति की रपिरट, नया सवेरा, नई उड़ान

मेन्स के लिये:

धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, अल्पसंख्यकों के शैक्षकि सशक्तीकरण के लिये कल्याणकारी योजनाएँ

स्रोत: द हंडि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षकि सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।

- इन कार्यक्रमों को देश में वभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शैक्षकि अंतर को कम करने और समावेशता को बढ़ावा देने के लिये अभिकल्पित कथिया गया था।
- उल्लेखनीय परविरतनों और विवादों के परणामस्वरूप अल्पसंख्यक आबादी पर इन कार्यक्रमों के प्रभावों को लेकर चतिएँ व्यक्त की गई हैं।

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षकि सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति:

परिचय:


- भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक, जनिम मुसलमि, ईसाई, सखि, बौद्ध, जैन और पारसी शामलि हैं, आबादी का लगभग 20% है।
 - वर्ष 2006 में जारी सच्चर समति की रपिरट ने इन असमानताओं को उजागर कथिया, जसिमें स्पष्ट कथिया गया कि मुसलमान विकास संकेतकों में कई अन्य समूहों से पीछे हैं।
 - इन असमानताओं को दूर करने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2006 में शैक्षकि सशक्तीकरण, आरथिक विकास, बुनियादी ढाँचे में सुधार तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की वशीष ज़रूरतों के लिये **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय** की स्थापना की।
 - सरकार द्वारा कथिया जाने वाले प्रयासों में अल्पसंख्यक छात्रों के लिये छात्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक रही, जसिका उद्देश्य वित्तीय सहायता तथा गुणवत्तापूर्ण शक्षिका तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

अल्पसंख्यकों के शैक्षकि सशक्तीकरण के लिये कल्याण योजनाओं की वरतमान स्थिति:

- परी-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** प्रारंभ में यह कक्षा 1 से 10 तक के अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की गई। बाद में कक्षा 1 से 8 के लिये बंद कर दी गई, इसके संशोधित रूप में केवल कक्षा 9 और 10 को शामलि कथिया गया।
 - छात्रवृत्ति बंद करते समय सरकार ने कहा कि शक्षिका का अधिकार अधिनियम (RTE अधिनियम) सभी छात्रों के लिये कक्षा 8 तक अनिवार्य शक्षिका का प्रावधान करता है।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** वर्ष 2023-24 में कक्षा 11 और उससे ऊपर (PHD तक) के छात्रों के लिये फंड 515 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,065 करोड़ रुपए हो गया।
- योग्यता-सह-साधन आधारति छात्रवृत्ति योजना:** स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लक्षित व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम, हालाँकि 2023-24 में इसे फंड में उल्लेखनीय कमी का सामना करना पड़ा।
- मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप (MANF):** इसके अंतर्गत एम.फलि और पीएचडी करने वाले शोधारथियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालाँकि इसे वर्ष 2022 में बंद कर दिया गया था।
- पढ़ो प्रदेश:** विदेशी अध्ययन के लिये शक्षिका ऋण पर ब्याज सबसेडी प्रदान की गई। हालाँकि इसे वर्ष 2022-23 से बंद कर दिया गया था।
- बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति:** यह उच्च माध्यमिक शक्षिका के लिये मेधावी छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना है। हालाँकि वर्ष 2023-24 में इसके अंतर्गत कोई धनराश आवंटित नहीं की गई है।
- नया सवेरा:** इसमें प्रत्यायोगी परीक्षाओं के लिये अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ़्त कोचिंग प्रदान की गई। हालाँकि वर्ष 2023-24 में इसे बंद कर दिया गया।

- नई उड़ान: वभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता प्रदान की गई। हालाँकि वर्ष 2023-24 में कोई धनराश आवंटन नहीं की गई है।
- मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM): इसका उद्देश्य मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाना है। वर्ष 2023-24 में आवंटन घटाया गया।

Change in sanctioned amount (2019-20 to 2021-22)



// Source: Press Information Bureau, Parliament reply documents • The Hindu Graphics

नोट: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिये बजट आवंटन में भारी कमी देखी गई, वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 38% की कमी हुई। फंडिंग में इस कटौती का वभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर सीधा प्रभाव पड़ा है, फंड का कम उपयोग एक आम प्रवृत्ति है।

धार्मकि अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 25: यह सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की गरंटी देता है।
- अनुच्छेद 26: यह प्रत्येक धार्मकि संप्रदाय या उसके अनुभाग को धार्मकि और धर्मारथ उद्देश्यों के लिये संस्थानों की स्थापना एवं रखरखाव करने तथा धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 29: इसमें प्रावधान है कि भारत के किसी भी हस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30: अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।

नोट: भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परभिषति नहीं किया गया है। हालाँकि संविधान केवल धार्मकि और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

धार्मकि अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य प्रमुख चुनौतियाँ:

- सांप्रदायकि हस्ति: एक प्रमुख चुनौती सांप्रदायकि हस्ति की घटनाएँ हैं, जहाँ धार्मकि आधार पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
 - इन घटनाओं के परणिमसवरूप जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति तथा अल्पसंख्यक समुदायों का विस्थापन होता है।

- यह चुनौती राजनीतिक हेरफेर, **आरथकि असमानता** तथा ऐतिहासिक तनाव जैसे कारकों में नहिति है जनिकी सावधानीपूर्वक जाँच की आवश्यकता है।
- **अंतर-अनुभागीय भेदभाव:** धार्मकि भेदभाव से परे, धार्मकि अल्पसंख्यकों, वशिष्ठकर महलियों को अंतर-अनुभागीय भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।
- **सामाजिक अलगाव:** धार्मकि यहूदी बस्ती (Ghettoization), जहाँ अल्पसंख्यक समुदायविशिष्ट क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं, जो उनके सामाजिक एकीकरण एवं आरथकि अवसरों पर प्रभाव डालता है।
- **साइबरबुलगी तथा ऑनलाइन उत्पीड़न:** धार्मकि अल्पसंख्यकों अथवा समूहों को लक्षित करने के लिये साइबरबुलगी तथा ऑनलाइन उत्पीड़न का बढ़ना, उनकी ऑनलाइन सुरक्षा एवं मानसकि कल्याण को प्रभावित कर रहा है।

आगे की राह

- **सार्वजनिक-नजी भागीदारी का लाभ:** अल्पसंख्यक शक्षिष्ठ पहल हेतु वित्तपोषण तथा संसाधनों के पूरक के लिये सरकार, नजी क्षेत्र एवं गैर-लाभकारी संगठनों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना चाहयि।
 - इससे बजट कटौती की भरपाई करने तथा इन योजनाओं के लिये नरितर समर्थन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:** धार्मकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिये तैयार किये गए **डिजिटल साक्षरता** कार्यक्रमों को लागू करना चाहयि ताकियह सुनिश्चित किया जा सके किंतु डिजिटल युग में पीछे न रहें। इससे सूचना तथा अवसरों तक उनकी पहुँच बढ़ सकती है।
- **स्थानीय स्तर पर पहल:** अंतर-धार्मकि संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने हेतु जमीनी स्तर पर की गई पहल विश्वास एवं सामाजिक एकजुटता के निरिपाण में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।
 - समुदाय-आधारति संघर्ष समाधान केंद्र स्थापति करने की आवश्यकता है जो अंतर-धार्मकि और अंतर-समुदायकि विवादों को संबोधित करने में वशिष्यज्ञ हों।
 - ये केंद्र **मध्यस्थिति** और प्रामरश सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- **पारंपरकि ज्ञान संरक्षण:** धार्मकि अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरकि ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं को पहचानना तथा संरक्षित करना। यह डिजिटल दस्तावेजीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण के माध्यम से किया जा सकता है।
- **सामाजिक प्रभाव आकलन और नविश:** समयबद्ध सामाजिक प्रभाव मूलयांकन करने और धार्मकि अल्पसंख्यक-स्वामतिव वाले व्यवसायों एवं स्टार्टअप में सामाजिक प्रभाव नविश को प्रोत्साहिति करने की आवश्यकता है। इससे आरथकि स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. भारत में यदि किसी धार्मकि संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो वह किसी विशेष लाभ का हकदार है? (2011)

- यह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है।
- भारत का राष्ट्रपति स्वतः ही लोकसभा के लिये किसी समुदाय के एक प्रतिनिधियों को नामित करता है।
- इसे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ मिल सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (c)